[2017] 3 एस.सी.आर. 878

राजस्थान वक्फ बोर्ड

बनाम

देवकी नंदन पाठक एवं अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 6310 सन् 2017) 04 मई 2017

(आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति)

वक्फ अधिनियम, 1995 - धारा 51, 52, 83 और 85 के तहत - वक्फ ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार - तत्काल मुकदमे में शामिल मुख्य प्रश्न यह था कि क्या मुकदमा भूमि वक्फ संपत्ति थी या नहीं ~ वादी ने कहा कि यह एक वक्फ संपत्ति थी जबकि प्रतिवादियों ने दावा किया कि यह वक्फ संपत्ति नहीं बल्कि उनकी स्वयं की संपत्ति थी - यह प्रश्न केवल ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जा सकता है, न कि सिविल कोर्ट द्वारा ~ दूसरे, एक बार जब संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो क्या बिक्री होगी ऐसी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई है जो वक्फ के मामलों से जुड़ा नहीं है या वक्फ के मामलों से निपटने वाले व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, वह अधिनियम के 8.51 के आधार पर शून्य हो जाती है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह प्राप्त करने के बाद बनाई गई थी अधिनियम के तहत प्रदान की गई बोर्ड की पूर्व अनुमति - अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत आने वाले मामलों का निर्णय भी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना आवश्यक है और इसलिए, ऐसे मामलों को तय करने के लिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी वर्जित है। अधिनियम के 5.85 में निहित प्रावधान - मामले को नए सिरे से पुनरीक्षण पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया ताकि यह तय किया जा सके कि क्या गुण-दोष के आधार पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष, जिनके द्वारा मुकदमा सुनाया गया था, सही थे या नहीं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय में

माना की: 1. मौजूदा मामला वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, अधिनियम की धारा 51 में प्रावधान है कि वक्फ डीड में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, किसी भी अचल संपत्ति का कोई उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक, जो वक्फ संपत्ति है, जब तक कि यह बोर्ड की पूर्व मंजूरी से प्रभावी न हो, शून्य होगा। अधिनियम की धारा 52 बोर्ड को ऐसी वक्फ संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर से संपर्क करने का अधिकार देती है, जो अधिनियम की धारा 51 या धारा 56 के उल्लंघन में अलग हो गई है। यह अधिनियम की धारा 52(2) के तहत पारित कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार भी प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 54 में प्रावधान है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध बेदखली का आदेश लेने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क करना होगा। अधिनियम की धारा 83 ट्रिब्यूनल को इस अधिनियम के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का निर्धारण करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 85 जो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा से संबंधित है, यह प्रावधान करती है कि किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी भी सिविल अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। इस अधिनियम के तहत या इसके तहत ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। ट्रिब्यूनल का यह मानना सही था कि उसके पास गुण-दोष के आधार पर

मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जबकि उच्च न्यायालय अन्यथा ऐसा नहीं मानता था। [पैराग्राफ 21-25)(883-एच; 884-ए-एफ)

2. ट्रिब्यूनल के पास प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा दायर मुकदमे में उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए, ट्रिब्यूनल ने योग्यता के आधार पर मुकदमे का निर्णय किया। कारणों की तलाश बहुत दूर नहीं है। सबसे पहले, मुकदमे में शामिल मुख्य प्रश्न यह था कि क्या मुकदमे की जमीन वक्फ संपत्ति है या नहीं। वादी का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति है जबकि प्रतिवादियों का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति नहीं बल्कि उनकी स्वयं की संपत्ति है। इस प्रश्न का निर्णय केवल न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है, सिविल न्यायालय द्वारा नहीं। दूसरा, एक बार जब संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो एक फोर्टियोरी, चाहे ऐसी संपत्ति की बिक्री वक्फ के मामलों से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा या वक्फ के मामलों से निपटने वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो, वही हो जाती है अधिनियम की धारा 51 के आधार पर तब तक शून्य है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इसे अधिनियम के तहत दिए गए बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद बनाया गया था, कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत आने वाले मामलों की भी आवश्यकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय लिया जाता है और इसलिए ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी अधिनियम की धारा 85 में निहित प्रावधानों के आधार पर वर्जित है। उच्च न्यायालय ने प्रश्न का निर्णय करते समय प्रश्न का उसके उचित परिप्रेक्ष्य में परीक्षण नहीं किया। [पैरा 26-28][884-एफ-एच; 885-ए-डी]

रमेश गोबिंदराम बनाम सुगरा हमायूं मिर्जा वाग्फ [2010] 10 एससीआर 945: (2010) 8 एससीसी 726; भंवर लाल और अन्य बनाम राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड और अन्य। [2013] 9 एससीआर 721: (2014) 16 एससीसी 51 - पर भरोसा किया गया। केस लॉ रेफरेंस [2010] 10 एससीआर 945 पैरा 27 पर निर्भर है [2013] 9 एससीआर 721 पैरा 27 पर निर्भर है:-

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6310 सन् 2017

सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 400 सन् 2001 में जयपुर स्थित राजस्थान खंडपीठ के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2014 के विरूद्ध दायर की गयी।

एस. वसीम ए. कादरी, ज़ुबैर अहमद खान, ज़ैद अली, तमीम कादरी, मुदासिर नबी, सुश्री शबीना अंजुम, सुश्री मिताली चौहान, लक्ष्मी रमन सिंह, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

नितिन भारद्वाज, बैज नाथ पटेल, प्रवीण चतुर्वेदी, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ द्वारा सीआरपी संख्या 400 सन् 2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2014 के विरूद्ध दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। यहां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक और पीठासीन अधिकारी, राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2001 को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रिब्यूनल

ने वादी-प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध दायर मुकदमे का निर्णय सुनाया।

3. अपील में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, जो एक संकीर्ण दिशा में निहित है, प्रासंगिक तथ्यों को बताना आवश्यक है।

4. यहां अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 6 है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक है | प्रतिवादी संख्या 5 और 6 उस मुकदमे में वादी है, जिससे यह अपील उत्पन्न होती है।

5. वक्फ अधिनियम, 1995 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत अपीलकर्ता एक पंजीकृत वक्फ बोर्ड है। इसका कार्यालय राजस्थान राज्य के जयपुर में है।

6. राजस्थान के कस्बा हिंडौन, तहसील हिंडौन बारपारा जिला करौली में "कौड़िया वाली मस्जिद" नाम की एक संपत्ति स्थित है। संपत्ति अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में क्रमांक 23, पृष्ठ संख्या 116 पर "वक्फ" के रूप में पंजीकृत है। प्रतिवादी संख्या 6 मस्जिद का मुतवली है।

7. दिनांक 05.06.1998 को, प्रतिवादी संख्या 5 ने "कौरिया वाली मस्जिद" के निकट स्थित भूमि का मालिक होने का दावा करते हुए 37 फीट x 34 फीट की संपत्ति (इसके बाद "सूट भूमि" कहा जाता है) को प्रतिवादी संख्या 1 को बेच दिया। 4 विक्रय विलेख द्वारा। इस बिक्री ने एक ओर प्रतिवादी संख्या 6 और दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वक्फ के बीच विवाद को जन्म दिया।

8. प्रतिवादी संख्या 6 ने जयपुर में राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 5 और अपीलकर्ता के विरूद्ध मुकदमा दायर किया। जिस आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 (वादी) ने राहत का दावा करने के लिए मुकदमा दायर किया, वह अन्य बातों के साथ-साथ यह था कि "मुकदमा भूमि" वक्फ संपत्ति है या दूसरे शब्दों में, वक्फ संपत्ति का एक हिस्सा है और इसलिए प्रतिवादी संख्या-5, जो एक व्यक्ति है और वक्फ के मामलों से असंबद्ध है, के पास वाद की भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के अलावा किसी को भी बेचने का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था। यह आरोप लगाया गया था कि वाद की भूमि की बिक्री समान रूप से अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है और इसलिए यह शून्य और अवैध था (वादी का पैरा 7)। यह भी आरोप लगाया गया कि वादी, जो मस्जिद (वक्फ) का मुतावली है, को भी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना वक्फ संपत्ति या/और उसके किसी भी हिस्से को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 6 ने राहत का दावा किया कि सबसे पहले, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 (प्रतिवादी संख्या 1 से 4) को जबरन मुकदमे की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए और वैकल्पिक रूप से प्रश्न में बिक्री को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 ने लिखित बयान दाखिल किया और वादपत्र में प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा लगाए गए दावे को खारिज कर दिया। उनके अनुसार वाद भूमि न तो वक्फ संपत्ति थी और न ही किसी वक्फ संपत्ति का हिस्सा थी। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी नंबर 5 को मुकदमे की जमीन का मालिक होने के नाते प्रतिवादी नंबर 1 से 4 को सूट की जमीन बेचने का पूरा अधिकार था और उसने बिक्री विलेख निष्पादित करके ऐसा किया। यह भी आरोप लगाया गया कि ट्रिब्यूनल के पास मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वादी का

उपाय उचित राहत का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष सिविल मुकदमा दायर करना है। ट्रिब्यूनल ने तर्कों के आधार पर निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

1, क्या वादी मुकदमा दायर करने का अधिकारी है?
2. क्या मुकदमे में संपत्ति मस्जिद कौड़िया वाली का हिस्सा है?
3. क्या इस बोर्ड के पास इस मामले पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है?
4. क्या मामला कालबाधित है?
5. वादी किस राहत का हकदार है?

10. पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दिनांक 22.02.2001 के आदेश द्वारा, ट्रिब्यूनल ने मुकदमे पर निर्णय सुनाया और तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक आदेश पारित किया। यह माना गया कि सबसे पहले, ट्रिब्यूनल के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है; दूसरे, वादी (प्रतिवादी संख्या 6) वक्फ संपत्ति का मुतावली है और इसलिए, वाद भूमि के संबंध में मुकदमा दायर करने में सक्षम है; और तीसरा, वाद भूमि वक्फ संपत्ति है या दूसरे शब्दों में, वक्फ संपत्ति का एक हिस्सा है और इसलिए, यह वक्फ अधिनियम के अधीन है।

11. व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उच्च न्यायालय में अधिनियम की धारा 83(9) के तहत पुनरीक्षण दायर किया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण की अनुमति दी और ट्रिब्यूनल के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि ट्रिब्यूनल के पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और प्रतिवादी नंबर 6 (वादी) का उपाय सिविल दायर करना था। सी के समक्ष मुकदमा दुष्ट न्यायालय. इसलिए, उच्च न्यायालय ने मामले में उत्पन्न मुद्दों की योग्यता की जांच नहीं की।

12. व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 6-वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की गयी।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन भारद्वाज और श्री प्रवीण चतुर्वेदी को सुना गया।

14. अपीलकर्ता-वक्फ बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद ने आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि ट्रिब्यूनल के पास उस मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसमें से यह अपील उठती है।

15. उनके अनुसार, समग्र रूप से वादी में दिए गए कथनों को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया गया मुकदमा कायम रखने योग्य था और इसलिए, ट्रिब्यूनल द्वारा गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाया गया और निर्णय सुनाया गया।

16. विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि मूल प्रश्न, जिसे मुकदमे में तय किया जाना आवश्यक था, जैसा कि मुद्दे संख्या 2 से स्पष्ट होगा, यह था कि क्या मुकदमा भूमि वक्फ संपत्ति है या दूसरे शब्दों में, क्या यह वक्फ का हिस्सा है वक्फ संपत्ति है या नहीं, विद्वान अधिवक्ता ने तर्को से बताया कि यह वादी (यहाँ प्रतिवादी संख्या 6) का मामला रहा है कि वाद की भूमि हमेशा वक्फ संपत्ति का हिस्सा रही है और इसलिए न तो प्रतिवादी संख्या 5 और न ही किसी को इस

पर कोई अधिकार है। उक्त भूमि को तब तक बेचें जब तक ऐसी संपत्ति की बिक्री के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

17. विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनियम की योजना के तहत, यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष संपत्ति एक वक संपत्ति है या नहीं, अधिनियम की धारा 83 और सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा मुकदमा चलाया और तय किया जाना है। ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेना अधिनियम की धारा 85 द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है।

18. इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि आक्षेपित आदेश को यह कहकर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल के पास मुकदमे की सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है और मामले को तदनुसार गुण-दोष के आधार पर संशोधन का निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए। निर्णय करें कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमे की भूमि को वक्फ संपत्ति का हिस्सा मानना उचित था या नहीं।

19. उत्तर में, उत्तरदाताओं (प्रतिवादी संख्या 1 से 5) के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील को खारिज करके इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

20. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति में बल पाते हैं।

21. इस अपील में विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि अधिनियम की धारा 83 के तहत मुकदमा ट्रिब्यूनल द्वारा चलाए जाने में सक्षम नहीं था और वादी का उपाय एक सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करना था।

22. वक्फ अधिनियम, 1995 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 27/2013) द्वारा संशोधित किया गया था। चूँकि मामला संशोधित अधिनियम द्वारा शासित है, इसलिए हम नीचे अधिनियम के कुछ प्रासंगिक असंशोधित प्रावधानों पर ध्यान देते हैं।

23. अधिनियम की धारा 51 में प्रावधान है कि वक्फ डीड में किसी भी बात के बावजूद, किसी भी अचल संपत्ति का कोई भी उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक, जो वक्फ संपत्ति है, तब तक शून्य होगा जब तक कि यह बोर्ड की पूर्व मंजूरी से प्रभावित न हो। अधिनियम की धारा 52 बोर्ड को ऐसी वक्फ संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर से संपर्क करने का अधिकार देती है, जो अधिनियम की धारा 51 या धारा 56 के उल्लंघन में अलग हो गई है। यह अधिनियम की धारा 52(2) के तहत पारित कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार भी प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 54 में प्रावधान है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध बेदखली का आदेश लेने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क करना होगा।

24. अधिनियम की धारा 83 ट्रिब्यूनल को इस अधिनियम के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का निर्धारण करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 85 जो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा से संबंधित है, यह प्रावधान करती है कि किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद,

प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी भी सिविल अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। इस अधिनियम के तहत या इसके तहत ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

25. उपर्युक्त धाराओं के आलोक में वादपत्र में दिए गए कथनों को पढ़ते हुए, हमारा मानना है कि ट्रिब्यूनल का यह विचार सही था कि उसके पास योग्यता के आधार पर मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था, जबकि उच्च न्यायालय ऐसा नहीं था।

26. दूसरे शब्दों में, हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल के पास प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा दायर मुकदमे में उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए, ट्रिब्यूनल ने योग्यता के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की।

27. सबसे पहले, मुख्य प्रश्न मुकदमे में यह बात शामिल थी कि मुकदमे की जमीन वक्फ संपत्ति है या नहीं। वादी का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति है जबकि प्रतिवादियों का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति नहीं बल्कि उनकी स्वयं की संपत्ति है। हमारी राय में, यह प्रश्न केवल ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जा सकता है, न कि सिविल कोर्ट द्वारा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रमेश गोबिंदराम बनाम सुगरा हमायूं मिर्जा वाफ, (2010) 8 एससीसी 726 और भंवर लाल और अन्य बनाम राजस्थान में लगातार तय किया गया है। मुस्लिम वक्फ और अन्य बोर्ड, (2014) 16 एससीसी 51)

दूसरा, एक बार जब संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो एक फोर्टियोरी, चाहे ऐसी संपत्ति की बिक्री वक्फ के मामलों से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा या वक्फ के मामलों से निपटने वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो, वही हो जाती है अधिनियम की धारा 51 के आधार पर अमान्य है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इसे अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद बनाया गया था। कोई इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत आने वाले मामलों का निर्णय भी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना आवश्यक है और इसलिए ऐसे मामलों को तय करने का सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार भी अधिनियम की धारा 85 में निहित प्रावधानों के आधार पर वर्जित है।

28. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं क्योंकि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रश्न का निर्णय करते समय प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उचित परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच नहीं की। उपर्युक्त प्रावधान, उनका दायरा और ऊपर संदर्भित मामलों में निर्धारित कानून।

29. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है।

30. इसके परिणामस्वरूप, मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से पुनरीक्षण पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या गुण-दोष के आधार पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष जिसके द्वारा मुकदमा सुनाया गया था, सही है या नहीं?

31. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और इसलिए उच्च न्यायालय अब हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से संशोधन का निर्णय करेगा।

देविका गुजराल

अपील स्वीकार की गयी।

Sandeep

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019